(10)

प्रेषक पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

प्रेषित
i) सभी उप पुलिस अधीक्षक, जिला पलवल।
ii) सभी थाना प्रबन्धक, जिला पलवल।
iii) सभी प्रभारी चौकी जिला पलवल।
iv) प्रवाचक, पुलिस अधीक्षक पलवल।
v) प्रभारी नियन्त्रण कक्ष पलवल।

कमांक 5274-91/SC दिनांक 05/05/2020 (:)

विषयः– कोविड–19 के सम्बन्ध में सोशल डिस्टैन्सिंग एंव कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश :–

यादि

पुलिस महानिदेशक हरियाणा के पत्र कमांक 9606–38/एल एण्ड ओ –1 दिनांक 04.05.2020 की अनुपालना में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जिला **पलवल ओरैन्ज जॉन** में है तथा इसके कुछ क्षेत्र कान्टैन्टमैन्ट जॉन में है। **कान्टैन्टमैन्ट जॉन** के अलावा जिला पलवल में जो क्षेत्र ओरेन्ज जॉन में हैं उन क्षेत्रों में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ छूट प्रदान की हुई हैं। अतः बदलती हुई परिस्थितियों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। अतः बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं:–

1. आपके थाना/चौकी क्षेत्र मे तैनात पुलिस कर्मचारियों की डियूटि विशेष तौर पर सोशल डिस्टैन्सिंग मैनटैन करने हेतु सर्वेदनशील स्थानों पर लगाई जाए तथा ऐसे स्थानों पर सोशल डिस्टैंस मैनटैन करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे स्थानों पर सभी व्यक्ति मास्क पहने हुए हों और पब्लिक डिलिंग में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति/कर्मचारी के पास सैनेटाइजर/ग्लब्ज हों।

2. जब भी आपके इलाका में कोई कोबिड 19 पेाजिटिव का मामला पाया जाता है तब इस सम्बन्ध में सकमण रोकने के लिए स्वास्थय विभाग के स्थानीय चिकित्सक के साथ समन्वय स्थापित करके सोशल डिस्टैंस मैनटेन करने में स्वास्थय विभाग की सहायता की जाए।

3. जब भी कोई क्षेत्र कान्टैन्टमैन जॉन धोषित होता है उस क्षेत्र के चारों तरफ फुलप्रूफ नाकाबन्दी एवं चैकिंग की जावे।

4. यदि भविष्य में जब भी शराब की दुकानें सरकार द्वारा खुलने के आदेश होते हैं तो उस स्थिति में शराब के ठेकों पर अत्यधिक भीड–भाड होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता अतः इस सम्बन्ध में स्थानीय शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टैंस मैनटेन करने हेतु बैरिगेटिंग इत्यादि की सहायता से प्रोएक्टिव सोच के तहत व्यवस्थाएं बनाई जावें और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे स्थानों पर कडी नजर रखी जाए।

5. सरकार द्वारा भविष्य में प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। अतः आप सभी अपने अपने अक्षेत्र में रहने वाले मजदूर जो अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं उनको ई–दिशा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करें और जब भी सरकार द्वारा रेल–यातायात/बस द्वारा इनको इनके गणतव्य भेजने के निर्देश प्राप्त हों तब अफवाओं पर कडी नजर रखी जाए और सोशल डिस्टैंसिंग की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। आदेश की पालना दृढता से की जावे।

DG 05/05/2020

पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

OTHI
5/5/2020 1650

Scanned with CamScanner